राजस्व लोक अदालत केम्प चान्देसरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 84 /2018

वादीगण :- 1 चन्दनसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपुत निवासी ग्राम चान्देसरा

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

2018/0437 0437 01134

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांकः-30.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत चान्देसरा प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम चान्देसरा के विवादित ख0न0 532, 533, 552 व 553 मेरा नाम छतरसिंह पुत्र आईदान सिंह है जो अशुद्ध है। जबकि मेरा सही नाम चन्दनसिंह पुत्र आईदान सिंह है। हमारे पास उपलब्ध रेकर्ड में सहकारी किसान कार्ड, आधार कार्ड परिचय पत्र आदि में सही नाम चन्दनसिंह पुत्र आईदान सिंह है। छतरसिंह पुत्र आईदान सिंह अशुद्ध नाम की जगह सही नाम चन्दनसिंह पुत्र आईदान सिंह करने का निवदेन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज, सहकारी किसान कार्ड, आधार कार्ड परिचय पत्र पटवारी चान्देसरा/ आर0आई0 दुदवा व तहसीलदार पचपदरा व उपस्थित गवाह क्रमशः दीपसिंह, शिवसिंह, मलसिंह गवाह बयान में वादी का नाम छतरसिंह पुत्र आईदान सिंह राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में चन्दनसिंह पुत्र आईदान दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम ख0न0 क्रमशः ख0न0 ख0न0 532, 533, 552 व 553 में वादी का नाम छतरसिंह पुत्र आईदान सिंह के स्थान पर चन्दनसिंह पुत्र आईदान नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

वाद नं० 85/18 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) – चांडेसरा

पीठासीन अधिकारी :– सहायक सिविल कलेक्टर कोर्ट कोलायत

व चन्दनसिंह s/o आईदानसिंह उनवान

राज्य सरकार बनाम चन्दनसिंह s/o आईदानसिंह

दावा बाबत खसरा नं. करण से नाम दुरुस्ती बाबत

मुकदमा नम्बर :–

निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से चन्दनसिंह स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कोलायत की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/5/2018 को SDO (नाम पीठासीन अधिकारी)......., उपखण्ड अधिकारी, को. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – वादी चन्दनसिंह s/o आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी चांडेसरा का खसरा नं. 532, 533, 534 व 535 में नाम छतरसिंह s/o आईदानसिंह दर्ज हो गया था जो गलत था। प्रकरण साक्ष्य वादी व मलसिंह, शिवसिंह, दीपसिंह के बयान व वोटर कार्ड, परिचय पत्र आदि से छतरसिंह का सही नाम चन्दनसिंह होने से अतः नाम का इन्द्राज चन्दनसिंह s/o आईदान सिंह राजपूत दर्ज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( )

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर.........

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
कोलायत

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner